[1]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री गंगाधर मीणा (RAS)

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
235/2013	08.10.2013	07.09.21

अनुवान

रामपाल — बनाम — बिमला देवी वगैरा

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण कुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3
2. श्री भगवान यादव अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया है कि वादी ने मात्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 938 वाके ग्राम कुतुबपुर की बाबत ही तकासमा चाहा है जबकि वादी व पक्षकारान की अन्य आराजीयात खसरा नम्बरान 120, 127, 161, 207, 235, 334, 573, 609, 648, 649, 809, 774, 778, 838, 839, 891, 914, 918, 1003, 1005, 1017, 1036, 1094, 1118 वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम में सामलाती खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 265 में दर्ज है। इन खसरा नम्बरान को वाद ने जानबूझकर इस वादपत्र में शामिल नहीं किया है। इन म्बरानों का तकासमा नहीं चाहा है। कानूनन तकासमा के वाद में सभी खसार नम्बरानों को शामिल किया जाना अवाश्यक होत है जो कि वादी द्वारा शामिल नहीं किया है। सिर्फ प्रतिवाद संख्या 1 बिमलादेवी का बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड के इंतकाल दर्ज ना होने देने की वजह से वउदी ने मात्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 938 के बाबत् ही वादपत्र अदालत श्रीमान में पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। जो कि वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत काबिले खारिज है, खारिज फरमाया जावे। चलने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहत काबिल खारिज फरमाया जावे। शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि जिमन नं० 2 जिस कदर बयान किया है सही है कि वादी ने अदालत श्रीमान में मात्र खसरा नं० 938 ग्राम कुतुबपुर की बाबत तकासमा का दावा पेश किया गया है। सही स्वीकार है तथा बिमला देवी के बयनामा के इन्तकाल दर्ज ना होने देने का स्थगन आदेश अदालत श्रीमान से प्राप्त किया गया है। वह भी सही है स्वीकार है। चुंकि आराजी खसरा सं० 938 का बेचान बिना तकासमा किए ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

बिमला देवी के कर दिया गया है और उक्त आराजी की काश्त हिस्सा को लेकर ही विवाद पैदा हो गया है अन्य खसरा नम्बरान की सामलाती काश्त वो हिस्सा को लेकर कोई किसी प्रकार का पक्षकारान के मध्य तनाजा पैदा नहीं होता है। इसलिए अन्य खसरा नम्बरान जो उक्त विवादित आराजी के खाता में आते है का तकासमा वादी नहीं चाहता है और बिना विवाद के कानुनी रूप से तकासमा का वाद पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अन्य खसरा नम्बरान की बाबत मुश्तर्फा काश्त को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई तनाजा विवाद पैदा नहीं हो रहा है। शान्ति पूर्वक हम सह हिस्सेदारान मुश्तर्फा में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। चुंकि विवादित आराजी को कानुनी रूप से तकसीम किया जाकर वाद कुरेजात ही बिमला देवी के नाम का उसके हिस्से मे आये रकबा का इन्तकाल दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वाद को देरीना करने की नियत से मोजुदा प्रार्थना पत्र बेमायना तरीके से पेश किया गया है कि जो मय हर्जा खर्चा काबिले खारीज है जिसे मय हर्जा खर्चा के खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना गलत हैं प्रार्थना पत्र आदेश नियम 11 सपठित धारा 151 जा० दी० का प्रतिवादीगण द्वारा वाद को देरीना करने की नियत से बेमायना तरीके से पेश किया गया है कि जो मय हर्जा खर्चा खारीज फरमया जावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा है कि वादी ने मात्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 938 वाके ग्राम कतोपुर की बाबत् तकासमा चाहा जबकि इसमे और भी खसरान नम्बर है। जो खाता संख्या 265 में दर्ज है। वादी ने जानबूझ कर खाता संख्या 265 में दर्ज समस्त खसरान नम्बर का वाद पेश नहीं किया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 बिमला देवी का बयनामा दर्ज होने पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज न होने देने की वजह से वाद पेश किया है और इसमे स्थगन प्राप्त किया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी का अपनी बहस में कथन है, यह सही है कि मात्र खसरा नम्बर 938 ग्राम कतोपुर का वाद पेश किया गया है। जो तकासमा का वाद है बिमला देवी का बयनामा इन्तकाल ना दर्ज होने बाबत स्थगन श्रीमान न्यायालय से प्राप्त किया है। चुंकि आराजी खसरा संख्या 938 का बैचान बिना तकासमा किये ही बिमला देवी के कर दिया विवादित आराजी की काश्त हिस्सा लेकर ही विवाद पैदा हो गया है। अन्य खसरा नम्बर की सामलात काश्त वो हिस्सा को लेकर कोई किसी प्रकार का पक्षकारान के मध्य तनाजा पैदा नहीं होता है इसलिए अन्य खसरा नम्बरान जो उक्त विवादित आराजी के खाता में आते है का तकासमा वादी नहीं चाहता है और बिना विवाद के कानूनी रूप से तकासमा का वाद पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र के तथ्यों व बहस के दौरान उठाये गये बिन्दुओं पर गौर किया व न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया। विवादित भूमि का खसरा नम्बर 938ए जो कि खाता संख्या 265 में। खाता संख्या 265 में खसरा नम्बरान 938 के अलावा खसरा नम्बरान 120, 127, 161, 207, 235, 334, 573, 609, 648, 649, 809, 774, 778, 838, 839, 891, 914, 918, 1003, 1005, 1017, 1036, 1094 एवं 1118, सामलाती खातेदार है। प्रार्थी द्वारा केवल वाद को लम्बा चलाने बाबत् केवल एक खसरे के तकासमे बाबत् वाद लाया गया है जबकि अगर पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति होती तो अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को चाहिये था कि एक खाते के सभी खसरा नम्बर बाबत वाद लाया जाता है। मय प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से पूर्णतः सहमत हूँ। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है एवं मूल दावें को खारिज किया जाता है। दावा नम्बर से कम होकर लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27/09/21 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:42 IST
Reason: SelfAttested